टैण्टेज आवासीय सुविधा हेतु शर्ते

जिलाधिकारी कार्यालय रूद्रप्रयाग द्वारा श्री केदारनाथ पैदल मार्ग में छानी कैम्प निकट लिनचौली में 30 टैण्ट जिनमें प्रत्येक की क्षमता 02–10 अथवा अधिक शैय्याओं होगी, को निजी उद्यमियों से आवेदन प्राप्त कर प्रथम आवत प्रथम पावत आधार पर चारधाम यात्रा 2016 के यात्रा अवधि हेतु निम्न शर्तो के अधीन आवंटित की जानी है–

1– उक्त यात्रा पड़ाव पर स्थापित किये जाने वाले टैंण्टेज High Altitude में उपयोग किये जाने योग्य होने चाहिए। टैण्ट उत्कृष्ट गुणवत्ता युक्त, जल अवरोधी, ताप अवरोधी होना चहिए। टैंण्ट अच्छी गुणवत्ता के गरम स्लीपिंग बैग/रजाई/कम्बल/मैट्रेस/गददे सुविधा युक्त होनी आवश्यक है।

2– टैंण्टेज में विधुत, पेयजल तथा रोशनी भी पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

3– टैंण्टेज हेतु रसोई, स्वच्छक, भोजन व्यवस्था, शौचालय तथा सुरक्षा सम्बन्धी की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। जलापूर्ति एवं विधुत हेतु सम्बन्धित विभाग से भुगतान आधार पर संयोजन स्वयं प्राप्त करना होगा।

4– टैंण्टेज के अन्दर एवं बाहर साफ सफाई की समुचित व्यवस्था करनी आवश्यक है। किसी भी दशा में पालिथिन का प्रयोग नहीं किया जायेगा। कीचन एवं शौचालय की साफ सफाई उत्तम रखनी होगी। कीचन, शौचालय एवं टैंण्टेज का कूड़ा, कचरा, गन्दा पानी एवं सीवर का निस्तारण उचित ढंग से करना होगा। किसी भी दशा में खुले में गन्दगी प्रवाहित न की जायेगी। गन्दगी फैलाने की दशा में सम्बन्धित फर्म के विरूद्व कार्यवाही की जायेगी।

5– टैंण्टेज /कीचन में अग्निशमन की समुचित व्यवस्था करनी होगी।

6– खाद्य सामग्री/भोजन आदि का परीक्षण समय–समय पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी से कराया जाय तथा इस हेतु खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्राविधानों के तहत् सक्षम अधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन/पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है।

7– टैंण्टेज के अन्दर पेयजल, स्नान एवं साफ–सफाई हेतु पर्याप्त मात्रा में जल भण्डारण करना आवश्यक है।

8– टैंण्टेज में साफ–सफाई हेतु न्यूनतम 02 सफाई कर्मी रखने होगें।

9– टैंण्टेज में पर्याप्त मात्रा में खाद्यन्न सामग्री एवं ईंधन का भण्डारण रखा जाय ताकि यात्रियों को भोजन सम्बन्धी असुविधा न हो।

10– टैंण्टेज में पर्याप्त संख्या में कुक, वेटर तथा अन्य स्टाफ रखना होगा।

11– टैंण्टेज में यात्रियों की सुविधा एवं जानकारी हेतु विस्तर किराया, भोजन/नास्ता/चाय /काफी के रेट प्रदर्शित किये जायेगें। भोजन, चाय एव नाश्ते के रेट तथा लॉजिंग के रेट गढवाल मण्डल विकास निगम के द्वारा निर्धारित रेट के लगभग समान रखनी होगी।

12– टैंण्टेज में आपातकालीन फोन नं0 प्रदर्शित किये जायेगें।

13– नियत दरों से अधिक किराया, भोजन/नास्ता चाय आदि वसूलने की दशा में अनुमति निरस्त की जा सकती है।

14— टैण्टेज कार्यदेश प्राप्त होने के 03 दिन अन्दर स्थापित किये जायगें। टैण्टेज, भोजन, ईधन सम्बन्धी सामग्री भी 03 दिन स्थल पर पहुचानी सुनिश्चित करनी होगी। अन्यथा की दशा में अनुमति निरस्त की जा सकती है।

15— टैण्टेज लगाने हेतु भूमि तहसील प्रशासन ऊखीमठ द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। तहसील स्तर से उपलब्ध करायी गयी भूमि/स्थल केवल इस यात्रा सीजन (2016) हेतु प्रदान किया जायेगा। भविष्य में इस भूमि/स्थान के सम्बन्ध में फर्म का कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

16— दैवीय आपदा/दुर्घटना की स्थिति में फर्म को जिला प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी और न ही ऐसा दवा स्वीकार्य होगा।

17— प्रत्येक टैण्ट हेतु सम्पूर्ण यात्रा अवधि के लिये रू0 500/— प्रति टैण्ट की दर से जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग के नामें तैयार एवं देय डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा शुल्क जमा करना अनिवार्य है।

18— निविदा प्रपत्र मूल्य रू0 500.00+13.5%वैट निर्धारित है। जिसे जिलाधिकारी के नामें तैयार एवं देय डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा जिला कार्यालय नजारत अनुभाग में नगद जमा करना अनिवार्य है।

निविदा सम्बन्धी अन्य विवरण

1— निविदा प्रपत्र का मूल्य : रू0 500.00+13.5%वैट

2— निविदा प्रपत्र विक्रय की अवधि : विज्ञप्ति प्रकाशन तिथि से 24.05.2016 12.00 तक

3— मुहरबंद निविदा जमा करने की अंतिम तिथि/समय :दिनांक 24.05.2016 (सायं 2:00 बजे)

4— निविदा खोले जाने की तिथि/समय : दिनांक 24.05.2016(अपरान्ह 04:00 बजे)

5— निविदा खोले जाने का स्थान : जिला कार्यालय रूद्रप्रयाग।

6— निविदा प्रपत्र की वेबसाइट : www.rudraprayag.nic.in

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग।